# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदड़, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 14/2022

शीर्षक

1. बाबूलाल उर्फ बाबू पुत्र भरथा
2. छाजू पुत्र गिरधारी
3. सुरगा देवी उर्फ सुरजा पत्नी गिरधारी
   समस्त व्यस्क, जाति माली, निवासी ग्राम साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
4. रोशन पुत्र मदन
5. शांति देवी उर्फ संती पत्नी मदन
   समस्त व्यस्क, जाति माली, निवासी ग्राम साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

–वादीगण

बनाम

1. हरदयाल दत्तक पुत्र चौथू उम्र–48 वर्ष
2. मौहरी देवी पत्नी चौथू उम्र–80 वर्ष (फौत दौराने विचारण)
   2/1 भंवरी देवी पुत्री मौहरी देवी पत्नी लक्ष्मण जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 2 पापडा की ढाणी प्रतापुरा, मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
   2/2 प्रभाती देवी पुत्री मौहरी पत्नी कैलाश जाति माली, निवासी मोड़ावाडा, कुंवा प्रागपुरा, जिला कोटपूतली, बहरोड़।
   2/3 पांची देवी पुत्री मौहरी पत्नी सुवालाल जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 8 प्रागपुरा, जिला कोटपूतली, बहरोड़।
   2/4 दाफा देवी पुत्री मौहरी पत्नी श्यामलाल जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 7 प्रागपुरा, जिला कोटपूतली बहरोड़, राज0।
   2/5 महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र बलदेव सैनी
   2/6 हंसराज सैनी पुत्र बलदेव सैनी
   2/7 नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र बलदेव सैनी
   2/8 रामनिवास सैनी पुत्र बलदेव सैनी
   समस्त जाति माली, निवासी वार्ड नंबर 11, रामचन्द्रवाली गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
   2/9 मुन्नी देवी पत्नी कालूराम जाति माली निवासी वार्ड नंबर 5, मौहल्ला सीताराम वाली गुलाबबाग, खण्डेला जिला सीकर।
   2/10 ममता देवी पत्नी भौमसिंह जाति माली, निवासी ढाणी जाटाला, तहसील नीमकाथाना, मावण्डा कलां, जिला सीकर।
3. सत्यनारायण पुत्र हनुमान सहाय, उम्र–43 वर्ष
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
4. उपपंजीयक शाहपुरा, जिला जयपुर, राज०
5. पटवारी हल्का साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

— प्रतिवादीगण

7. बजरंग पुत्र गिरधारी समस्त व्यस्क, जाति माली, निवासी ग्राम साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
8. झमकी देवी पुत्री गिरधारी पत्नी मदन
9. सुन्दरी देवी पुत्री गिरधारी पत्नी रामजीलाल
   समस्त व्यस्क, जाति माली, निवासी ग्राम करीरी, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
10. ममता देवी पुत्री गिरधारी पत्नी कानाराम उम्र–व्यस्क, जाति माली, निवासी ग्राम कैरली, तह० विराटनगर, जिला जयपुर, (राज०)
11. सोनी देवी पुत्री मदन पत्नी जगदीश
12. सजना देवी पुत्री मदन पत्नी प्रभूदयाल
    समस्त व्यस्क जाति माली, निवासी ग्राम नायन, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
13. हेमा देवी पुत्री मदन पत्नी ओमप्रकाश
14. रेखा देवी पुत्री मदन पत्नी गिरधारी
    समस्त व्यस्क जाति माली, निवासी दादा पोता की छतरी अमरसर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
15. अनिता देवी पुत्री मदन पत्नी गणेश उम्र–व्यस्क, जाति माली, निवासी ग्राम करीरी, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 8/1/26

वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि साबिक खसरा नं0–553 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम साईवाड, तह०शाहपुरा हाल–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी साबिक खातेदारी में चौथा पुत्र भूरा जाति माली का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा बल्भा पुत्र दूला के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रहा है जमाबन्दी सं0–2032 से 2035 संलग्न वाद पत्र पेश है। उक्त भूमि साबिक खसरा नं0–553 के हाल सेटिलमेन्ट में हाल खसरा नं0–837 रकबा 0.20 है०, 836 रकबा 0.02 है0, वाकै ग्राम साईवाड, तह० शाहपुरा कायम किये गये है उक्त साबिक खसरा नं0–553 रकबा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्से को प्रतिवादी सं0–1 के पिता व प्रतिवादी सं0–2 के पति खातेदार चौथा ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक–03.04.1978 को वादी सं0–1 व वादी सं0–2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी सं0–7 लगायत 10 के पिता/पति गिरधारी तथा वादीगण सं0–4, 5 व तरतीबी प्रतिवादी सं०–11 लगायत 15 के पिता/पति मदन को

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था उक्त भूमि को खातेदार चौथा से खरीद किये जाने के बाद से ही वादी बाबूलाल तथा उसके भाई गिरधारी मदन अपने परिवार के साथ काबिज काश्त रहकर तत्समय ही मकान बनाकर उपयोग उपभोग करने लग गये थे वादी सं0–1 व वादीगण सं0–2 लगायत 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग भागीरथ, मदन ने उक्त भूमि पर अपने पुख्ता मकानात बनाने के बाद उक्त भूमि पर दुकाने व पशुओ को बांधने के लिए बाडे अर्सा 30 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर बना लिये थे तथा पुख्ता मकानात में परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है। अभी 3 माह पूर्व वादीगण को ग्राम साईवाड के कुछ लोगो से सुनने में आया कि हाल खसरा नं0–836, 837 की भूमि जिस पर वादीगण के मकानात व दुकाने बनी हुई है के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं०–1 लगायत 3 ने विक्रय पत्र तहसील कार्यालय–शाहपुरा में निष्पादित कराया गया है तथा न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प साईवाड में पटवारी हल्का से उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुला रहे है इस पर वादी सं0–1 लगायत 3 ने पटवारी हल्का प्रतिवादी सं0–4 से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि उक्त भूमि खसरा नं0–836, 837 के सम्बन्ध में विक्रय पत्र दिनांक–23.04.2021 को मोहरी देवी पत्नी चौथू व हरदयाल दत्तक पुत्र चौथू ने सत्यनारायण पुत्र हनुमान सहाय जाति माली निवासी साईवाड के पक्ष में तस्दीक करवाया है जिसका नामान्तकरण खुलने के लिए मेरे पास आया है इस पर वादीगण ने पटवारी हल्का को उक्त भूमि अपने द्वारा पूर्व में ही दिनांक–03.04.1978 को खरीद किये जाने की बात तथा उक्त रजिस्ट्री दिखाई तो उन्होने तहसीलदार महोदय–शाहपुरा से मिलने के लिए कहा इस पर वादीगण ने दिनांक 09.10.2021 को इन्टरनेट से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व उनके भाई मदन, गिरधारी का नाम खसरा नं. 836, 837 के 1/2 हिस्से में दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी सं.– 1 व 2 ने उक्त भूमि में चौथू की जगह अपना विरासत का नामान्तरण खुलवाकर प्रतिवादी सं0–3 को बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0–1407 प्रक्रियाधीन है इस पर वादीगण ने राजस्व कैम्प साईवाड में दिनांक–12.10.2021 को उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र नामान्तकरण सं0–1407 को रोके जाने व हक बरकरार रखने हेतु पटवारी हल्का, तहसीलदार–शाहपुरा व एस.डी.एम–शाहपुरा को दिया तो इन्होने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया तथा कहा कि धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ तथा दुरूस्ती हेतु कोर्ट में मुकदमा पेश करो हम कुछ नहीं कर सकते। वादीगण व उनके बुजुर्ग गिरधारी, मदन ग्रामीण परिवेश के मजदूरी पेशा व्यक्ति रहे है जो कानूनी प्रकिया के बारे में नहीं समझते थे उक्त भूमि खरीद किये जाने के बाद विक्रय पत्र दिनांक–03.04.1978 को तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तकरण हेतु दे दिया था तथा पटवारी हल्का ने

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज करने के लिए कह दिया था उक्त चौथा पुत्र भूरा द्वारा साबिक खसरा नं0–553 में से अपने 1/2 हिस्से का बेचान करने की जानकारी प्रतिवादी सं०–1 लगायत 3 को शुरू से रही है इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0–1 व 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में साबिक खसरा नं0–553 के नये हाल खसरा नं0–836, 837 में गलत रूप से दर्ज चौथा पुत्र भूरा के विरासत का नामान्तकरण अपने व चौथा की पुत्रीयों के नाम खुलवा लिया तथा प्रतिवादी सं0–1 ने अपनी बहिनो से हक त्याग भी करवा लिया तथा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाकर अपने आपको सदोष लाभ व वादीगण को सदोष हानि कारित करने की गरज से प्रतिवादी सं0–3 से आपराधिक षडयंत्र रचकर वादीगण से रूपये ऐंठने के लिए बाला–बाला उक्त भूमि हाल खसरा नं0–837 रकबा 0.20 है0, 836 रकबा 0.02 है0 में से 1/2 हिस्से का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं०–3 सत्यनारायण के पक्ष में दिनांक–23.04.2021 को बिना कब्जा के व बिना प्रतिफल राशि के तस्दीक करवा दिया है उक्त प्रतिवादी सं०–3 ग्राम साईवाड का ही रहने वाला है तथा प्रतिवादी सं०–1 लगायत 3 को यह भली भाँति पता रहा है कि उक्त भूमि का विकय पत्र पूर्व में ही चौथा द्वारा वादी सं०–1 व उसके भाई मदन गिरधारी के पक्ष में किया जाकर कब्जा करवाया जा चुका है उक्त भूमि पर वादीगण के पुख्ता मकानात व दुकाने व पशुओ को बांधने के लिए बाड़े बने हुये है जबकि विक्रय पत्र दिनांक–23.04.2021 में प्रतिवादी सं०–1 लगायत 3 ने उक्त भूमि पर पुख्ता मकानात व दुकाने बनी हुई होने का कोई हवाला नहीं दिया है जो इनकी वादीगण के विरूद्ध रूपये ऐंठने के लिए आपराधिक षडंयत्र की योजना को दर्शाता है उक्त विकय पत्र प्रतिवादी सं0–4 ने बिना मौके की जांच किये तस्दीक किये है जो इनकी घोर लापरवाही व कानूनी प्रकिया के दुरूपयोग को दर्शाता है। उक्त विकय पत्र दिनांक–23.04.2021 बिना कब्जा दिये हुये व बिना प्रतिफल प्राप्त किये वादीगण से रूपये एठने की नियत से प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 ने उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा में निष्पादित करवाया है उक्त विकय पत्र दिनांक–23.04.2021 से पहले ही वादी सं0–1 बाबूलाल व उसके भाई मदन व गिरधारी ने प्रतिवादी सं0–1 व 2 के बुजुर्ग चौथा को प्रतिफल राशि 1100/–रुपये अदा कर कब्जा प्राप्त कर लिया था कानूनन विकय पत्र तस्दीक होने के बाद ही वादी सं0–1 व वादी सं0–2 लगायत 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग मदन व गिरधारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे वादी बाबूलाल व उसके भाई मदन गिरधारी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक–03.04.1978 से चौथा के वारिसान प्रतिवादी सं०–1 व 2 लॉ ऑफ एस्टोप्ड है उक्त विक्रय में प्रतिवादी सं0–3 का पिता हनुमान पुत्र घासी भी गवाह रहा है। तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक–23.04.2021 पश्चातवर्ती विक्रय पत्र होने

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

से प्रतिवादी सं0–3 को वादीगण के विरूद्ध कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0–3 ने बिना कब्जा लिये उक्त भूमि पर वादीगण के मकानात व दुकाने तथा पशुओ के बाडे बने हुये होने की जानकारी होने के बावजूद वादीगण को हैरान परेशान करने के लिए उक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0–3 को कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है। अभी दो दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 को उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का उल्हाना दिया तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज कराने हेतु कोर्ट में बयान कर मामले का न्यायोचित रूप से निस्तारण करने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 काफी उग्र हो गये तथा कहा कि राजस्व कैम्प साईवाड में दिनांक–12.10.2021 को उक्त भूमि की खातेदारी में प्रतिवादी सं0–3 के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो चुका है जल्द ही हम उक्त भूमि को दीगर भूमाफिया व्यक्तियो को बेचान करके तुम्हे जबरन ताकत के बल पर बेदखल करवाके रहेगे तुम्हे जो कराना हो वो कर लो इस पर वादीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रतिवादी सं0–1 लगायत 3 के इरादे खतरनाक है तथा रूपयो के लालच में कभी भी उक्त भूमि का दीगर भूमाफिया व्यक्तियो के पक्ष में बेचान कर वादीगण को जबरन बेदखल करने को आमादा फिसाद है। इसलिए वादीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त भूमि हाल खसरा नं0–837 रकबा 0.20 है0, 836 रकबा 0.02 है0, के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने व प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नहीं करने हेतु तथा दीगर व्यक्तियो को रहन, बय नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण प्रार्थीगण है कि एक डिक्री बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की प्रदान की जावे कि हाल आराजी खसरा नं0–837 रकबा 0.20 है०, 836 रकबा 0.02 है0, (साबिक खसरा नं0–533 रकबा 17 बिस्वा) वाकै ग्राम साईवाड, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर मे से विक्रय पत्र दिनांक–03.04.1978 के अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि मे से प्रतिवादी सं0–3 सत्यनारायण के बजाय वादी स0–1 को 1/6 हिस्से का तथा वादी सं0–2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी सं0–7 लगायत 10 को 1/6 हिस्से का तथा वादी सं0–4 व 5 व तरतीबी प्रतिवादी सं0–11 लगायत 15 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इसका अमल दरामद कराया जावे। यहकि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0–837 रकबा 0.20 है0, 836 रकबा 0.02 है0, में वादीगण व तरतीबी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा व मजाहमत कारित नही करे तथा उक्त भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। यहकि हर्जा खर्चा वाद वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण मुनासिब हो प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल यादव ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई एवं प्रकरण साक्ष्यवादी हेतु नियत किया गया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा बाबूलाल, रोशन, घासीराम, बनवारी के मुख्य परिक्षण के शपथ–पत्र पेश किये। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4,9 सीपीसी का बाद सुनवाई विधिवत निस्तारण किया गया एवं पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 30.05.2025 को प्रार्थना–पत्र बाबत तलब फरमाये जाने पत्रावली पेश होने से पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व तलब होकर पेश हुई। वकील उभयपक्ष एवं पक्षकारान् ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् के द्वारा राजीनामा पर सहमति बाबत राजीनामा पर व आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये।

प्रस्तुत राजीनामा में जाहिर किया गया है कि " उक्त प्रकरण की भूमि साबिक खसरा नंबर 553 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम साईवाड, तहसील शाहपुरा की भूमि के हाल खसरा नंबर 836 रकबा 0.02 है0, 837 रकबा 0.20 है0 हाल सेटलमेंट में कायम किये गये है। उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 553 रकबा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 हरदयाल के पिता व मोहरी देवी के पति चौथा ने जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 03.04.1978 को वादी बाबूलाल व वादीगण संख्या 2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के पिता/पति गिरधारी तथा वादी संख्या 4, 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 के पिता/पति मदन को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा उक्त भूमि पर वादी व उसके भाई मदन व गिरधारी ने तत्समय ही मकानात बनाकर उपयोग उपभोग शुरू कर दिया था तथा आज भी वादी व उसके भाई मदन तथा गिरधारी के वारिसान तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 553 के हाल खसरा नंबर 836, 837 की भूमि का विकय–पत्र दिनांक 23.04.2021 को सहवन अन्य भूमियों के साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तस्दीक हो गया है, जबकि उक्त भूमि का पूर्ववर्ती विकय–पत्र वादी व उसके भाई मदन व गिरधारी के नाम तस्दीक हो चुका

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

था। प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 836/0.02 है0, 837/0.20 है0 पर कोई कब्जा नहीं है, सहवन से अन्य भूमि के विकय पत्र के साथ उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम हाल खसरा नंबर 836, 837 की खातेदारी दर्ज हो गई है, जो गलत है। भूमि हाल खसरा नंबर 836 रकबा 0.02 है0, 837 रकबा 0.20 है0, वाकै ग्राम साईवाड, तहसील शाहपुरा के संबंध में हुए विकय पत्र दिनांक 23.04.2021 को उक्त खसरा नंबर 836, 837 की हद तक शून्य घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिए दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता हो गया है। वादी व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। हाल आराजी खसरा नंबर 837 रकबा 0.20 है0, 836 रकबा 0.02 है0 साबिक खसरा नंबर 553 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम साईवाड़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में से विकय–पत्र दिनांक 03.04.1978 के अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण के बजाय वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 व 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 4 व 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद करवाया जावें। उक्त प्रकरण को राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जावे। उपरोक्त लिखित राजीनामा उभयपक्ष ने राजी खुशी से अपनी स्वतंत्र इच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर बिना किसी दवाब के होश हवास से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उभयपक्ष व इनके वारिसान सदैव के लिए पाबंद रहेंगे।" वकील उभयपक्ष एवं पक्षकारान् ने प्रकरण राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष एवं पक्षकारान् को सुना गया। पत्रावली , पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामे के अवलोकन से जाहिर है कि पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो गया है एवं इंगित किया है कि उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 553 के हाल खसरा नंबर 836, 837 की भूमि का विकय–पत्र दिनांक 23.04.2021 को सहवन से अन्य भूमियों के साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तस्दीक हो गया है, जबकि उक्त भूमि का पूर्ववर्ती विकय–पत्र वादी व उसके भाई मदन व गिरधारी के नाम तस्दीक हो चुका था। भूमि हाल खसरा नंबर 836 रकबा 0.02 है0, 837 रकबा 0.20 है0, वाकै ग्राम साईवाड, तहसील शाहपुरा के संबंध में हुए विकय पत्र दिनांक 23.04.2021 को उक्त खसरा नंबर 836, 837 की हद तक शून्य घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिए दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता हो गया है। वादी व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। हाल आराजी खसरा नंबर 837 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

0.20 है0, 836 रकबा 0.02 है0 साबिक खसरा नंबर 553 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम साईवाड़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में से विक्रय–पत्र दिनांक 03.04.1978 के अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण के बजाय वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 व 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 4 व 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद करवाया जावें। उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने से दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है एवं साबिक खसरा नंबर 553 रकबा 17 बिस्वा के हाल आराजी खसरा नंबर 837 रकबा 0.20 है0, 836 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम साईवाड, तहसील–शाहपुरा जिला में से विक्रय–पत्र दिनांक 03.04.1978 के अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 सत्यनारायण के बजाय वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 को 1/6 हिस्से का तथा वादी संख्या 4 व 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 को हिस्से 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा एवं राजीनामा से उभयपक्ष एवं इनके वारिसान सदैव के लिए पाबंद रहेंगे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया।

( संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा (जयपुर) राज.